मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 27, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री शीतला सहाय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन संबंधी उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की अपेक्षानुसार -

(क) नगर पालिका परिषद्, गुना का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,
(ख) नगर परिषद् ब्यौहारी, जिला शहडोल का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010,
(ग) नगर परिषद्, रामपुर नैकिन, जिला-सीधी का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011,
(घ) नगर परिषद्, चित्रकूट, जिला-सतना का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,
(ङ) नगर परिषद, नामली, जिला रतलाम का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,
(च) नगर पालिका परिषद्, शाजापुर का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,
(छ) नगर पालिका परिषद्, नीमच का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,
(ज) नगर पालिका परिषद्, सीहोर का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011; तथा
(झ) नगर पालिका परिषद्, सारणी का संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर, मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक ए-3-17-2010-1-पांच (25) दिनांक 1 अप्रैल, 2011, तथा
(ख) क्रमांक ए-3-17-2011-1-पांच (31) दिनांक 1 अप्रैल, 2011,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 (दिनांक 1-4-2006 से 31-3-2007 तक) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम कोटरा में दलितों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन सिंह पटेल, सदस्य, सतना जिले में विद्युत वितरण एवं वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल की लक्ष्मी टाकीज की लीज अवधि समाप्त होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम मजेठी से प्राप्त महिला के शव का परीक्षण न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) रतनपुरा से आलमपुर तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम रहावली उबारी की पुलिस चौकी में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,

(ग) ग्राम अजनार की पुलिस चौकी में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने, तथा

(घ) ग्राम जखमौली से राठोर की मढ़ैयन व्हाया लारौल मार्ग पर सिंध नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(2) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (विज्जु बना), सदस्य, नीमच जिले के -

(क) ग्राम मलाहेड़ा से पड़दा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम तलाऊ से खेजड़ी के मध्य पुलिया निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम बडकुआ से चपलाना तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम अल्हेड से मनासा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम मोया में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(च) ग्राम बोरखेड़ी में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में शासकीय ऊर्दू प्राथमिक शाला खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 2011-2012 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54,55,58,60,61,62,63,64,65,67,69,72,73,74,75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पैंतीस सौ अड़तीस करोड़, अड़सठ लाख, छब्बीस हजार, सात सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.".

2 घन्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2011

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.